

अध्याय-II

वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

व्यापार कर (व्या०क०) राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात् इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 52,613.43 करोड़) के 62.93 प्रतिशत अंश (₹ 33,107.34 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण, 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ०प्र०व्या०क०अधि०) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम) 1 जनवरी 2008 से प्रभावी, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के०बि०क०अधि०), के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। वाणिज्य कर विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन कमिश्नर वाणिज्य कर (क०वा०क०) में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उनकी सहायता के लिए 104 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा०क०), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि०क०), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (अ०क०) एवं 1275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा०क०अ०) हैं।


2.2 प्राप्तियों का रुझान

विगत वर्षों 2007-08 से 2011-12 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही समान अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका और बार डाईग्राम में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता कमी (-)/आधिक्य (+)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों में वा०क०/मू०सं०क० प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	17,314.10	15,023.10	(-) 2,291.00	(-) 13.23	24,959.32	60.19
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	28,658.97	61.00
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	0.40	33,877.60	61.47
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-) 2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+) 1,107.34	3.46	52,613.43	62.93

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।



सारणी से यह स्पष्ट है कि 2007–08 एवं 2011–12 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच (–) 13.23 एवं 3.46 प्रतिशत के बीच असामान्य भिन्नता थी।

2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को ₹ 18,960.28 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,803.03 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लम्बित राजस्व बकाये का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक रहतिया	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाया का अन्तिम रहतिया
2007-08	14,569.19	3,487.63	11,081.94
2008-09	11,081.94	4,307.91	15,389.85
2009-10	15,389.85	1,063.45	16,453.30
2010-11	16,453.30	1,350.97	16,665.41
2011-12	16,665.41	1,700.51	18,960.28

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभाग ने बताया कि ₹ 1,576.23 करोड़ के भू-राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किये गये, ₹ 4,260.46 करोड़ न्यायालय एवं शासन द्वारा स्थगित किये गये थे, ₹ 495.62 करोड़ की बकाया की वसूली सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों से थे, ₹ 913.17 करोड़ की वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों से सम्बन्धित थे, राज्य के ट्रान्सपोर्टरों पर ₹ 69.93 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र थे, ₹ 1,498.03 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित हैं, तथा ₹ 10,146.84 करोड़ की शेष बकाया धनराशि विभागीय कार्यवाही हेतु लम्बित थे।

2.4 प्रति व्यापारी वैट लागत

प्रति व्यापारी वैट पर वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि में आयी लागत का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2009-10	5,75,434	20,825.18	358.43	6,228.86
2010-11	5,94,695	24,836.52	391.45	6,582.37
2011-12	6,42,645	33,107.34	440.89	6,860.55

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

2.5 कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, अतिरिक्त मामले जो कि वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले
2007-08	5,76,968	6,19,710	11,96,678	2,58,011	9,38,667
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभाग को बकाया कर निर्धारण मामलों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है।

2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान व्यापक / मूल्य संग्रह प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रह, संग्रह पर हुआ व्यय एवं संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही पिछले वर्ष में सकल संग्रह पर हुये व्यय की प्रासंगिक अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत की प्रतिशतता	पिछले वर्ष की अखिल भारतीय प्रतिशतता
2007-08	15,023.10	228.19	1.52	0.82
2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.83
2009-10	20,825.18	358.43	1.72	0.88
2010-11	24,836.52	406.65	1.64	0.96
2011-12	33,107.34	440.89	1.33	0.75

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

इस प्रकार, सभी पाँच वर्षों में संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

शासन को संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है।

2.7 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर का अनारोपण / कम आरोपण, कर की वसूली न होना / कम वसूली, कर का कम आरोपण / राजस्व हानि, अनियमित छूट, टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि आदि के ₹ 1,502.44 करोड़ के 10,084 मामलों को इंगित किया। जिसमें से विभाग / शासन ने 1,359 मामलों में ₹ 15.23 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा अब तक 508 मामलों में ₹ 2.05 करोड़ वसूल कर लिया था। विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गयी धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2006-07	473	1,548	74.60	38	0.36	6	0.02
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114	0.46
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128	0.68
2009-10	685	2,711	77.32	559	7.13	112	0.36
2010-11	892	2,648	94.73	436	1.63	148	0.53
योग	3,130	10,084	1,502.44	1,359	15.23	508	2.05

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच ने कर का अनारोपण / कम आरोपण, माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की त्रुटिपूर्ण दर के फलस्वरूप कर का अनारोपण / कम आरोपण, अनियमित छूट आदि के ₹ 132.67 करोड़ के 2,451 मामले उद्घाटित किये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	949	39.21
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	230	7.41
3.	अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	263	32.37
4.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	256	13.26
5.	माल का गलत वर्गीकरण	38	1.68
6.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएं	31	0.86
7.	गणना की त्रुटि	06	0.06
8.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	14	0.59
9.	अन्य अनियमिततायें	664	37.23
योग		2,451	132.67

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने 522 मामलों में ₹ 3.06 करोड़ के अवनिधारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 5.42 लाख के 21 मामले वर्ष 2011–12 में इंगित किये गये तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान 230 मामलों में ₹ 44.68 लाख की वसूली की जिनमें से ₹ 2.02 लाख के 6 मामले वर्ष 2011–12 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 16.76 करोड़ का राजस्व प्रभाव निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

2.9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच में अधिनियमों/नियमों को अमल में न लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण, अनियमित कर मुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि एवं निष्प्रयोज्य व्यय के एक प्रकरण सहित अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये प्रकाश में नहीं आती हैं। हम अनुभव करते हैं कि शासन के लिए यह आवश्यक है कि वह आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के साथ ही आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को भी मजबूत करे।

2.10 कर की गलत दर लगाये जाने तथा वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ प्रकरणों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की निम्नतर दरों लागू की गयीं एवं कुछ प्रकरणों में कोई कर ही आरोपित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.10.1 कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ०प्र० व्यापार कर (उ०प्र०व्या०क०) अधिनियम, 1948 की धारा 3-के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएँ निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर (उ०प्र०म०सं०क०) अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएँ करमुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएँ चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएँ एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएँ जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय-समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएँ जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 की दर से कर योग्य हैं।

हमने 55 वाणिज्य कर कार्यालयों¹ (वा०क०का०) में देखा कि क०नि०प्रा० ने अवधि 2002-03 से 2009-10 के लिए अगस्त 2004 से मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण² करते समय ₹ 60.77 करोड़ मूल्य के माल की

¹ असि०क० खण्ड-10 आगरा, डि०क० खण्ड-11 आगरा, डि०क० खण्ड-17 आगरा, डि०क० खण्ड-19 आगरा, असि०क० खण्ड-1 अलीगढ़, डि०क० खण्ड-1 इलाहाबाद, असि०क० खण्ड-7 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-14 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-10 बरेली, डि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डि०क० खण्ड-3 गौतमबुद्धनगर, ज्या०क०(कार्प००स०)-अग्नियाबाद, असि०क० खण्ड-4 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-5 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-9 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-13 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-14 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-15 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-15 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-16 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-17 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-18 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-18 गाजियाबाद, ज्या०क०(कार्प००स०) गोरखपुर, असि०क० खण्ड-1 हापुड़, डि०क० खण्ड-2 कानपुर, असि०क० खण्ड-3 कानपुर, डि०क० खण्ड-7 कानपुर, डि०क० खण्ड-20 कानपुर, डि०क० खण्ड-25 कानपुर, डि०क० खण्ड-28 कानपुर, डि०क० खण्ड-29 कानपुर, डि०क० खण्ड-30 कानपुर, ज्या०क०(कार्प००स०)-1 लखनऊ, डि०क० खण्ड-4 लखनऊ, डि०क० खण्ड-5 लखनऊ, डि०क० खण्ड-16 लखनऊ, असि०क० खण्ड-9 मेरठ, ज्या०क०(कार्प००स०)-आगरा, डि०क० खण्ड-4 नोएडा, डि०क० खण्ड-5 नोएडा, डि०क० खण्ड-6 नोएडा, डि०क० खण्ड-7 नोएडा, डि०क० खण्ड-11 नोएडा, डि०क० खण्ड-12 नोएडा, डि०क० खण्ड-13 नोएडा, असि०क० खण्ड-13 नोएडा, असि०क० खण्ड-2 रामपुर, डि०क० खण्ड-4 सहारनपुर, डि०क० खण्ड-12 सहारनपुर, डि०क० खण्ड-2 वाराणसी एवं असि०क० खण्ड-5 वाराणसी।

² 79 व्यापारियों के लिए।

बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ कम व्यापार कर (व्यापको) / मूल्य संवर्धित कर (मूल्यांको) आरोपित हुआ। जैसा कि परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को मार्च 2007 एवं मई 2012 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने जनवरी 2011 एवं अगस्त 2012 के मध्य बताया कि 11 मामलों³ में ₹ 33.16 लाख व्यापको/मूल्यांको आरोपित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 2.75 लाख की वसूली की जा चुकी है। अन्य मामलों में हमें उनके उत्तर एवं वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.10.2 वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण व्यापको/मूल्यांको का कम आरोपण

हमने अगस्त 2009 से सितम्बर 2011 के मध्य 15 व्यापकों⁴ में देखा कि कोनिप्रा० ने 17 व्यापारियों के प्रकरणों में अवधि 2005–06 से 2007–08 के लिए सितम्बर 2008 से मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 12.67 करोड़ के माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 81.42 लाख कम व्यापको/मूल्यांको आरोपित हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों⁵ को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि 13 प्रकरणों⁶ में ₹ 52.26 लाख व्यापको/मूल्यांको आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 3.35 लाख की वसूली अब तक की जा चुकी है। विभाग ने आगे बताया कि चार कोनिप्रा० के प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

³ डिको० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डिको० खण्ड-3 गौतमबुद्धनगर(दो मामले), ज्वापको(कार्पो०स०)-अ गाजियाबाद, डिको० खण्ड-18 गाजियाबाद (एक मामला), असिको० खण्ड-3 कानपुर (एक मामला), डिको० खण्ड-4 लखनऊ, डिको० खण्ड-5 लखनऊ, डिको० खण्ड-5 नोएडा, डिको० खण्ड-7 नोएडा (एक मामला) एवं असिको० खण्ड-5 वाराणसी।

⁴ डिको० खण्ड-2 गाजियाबाद, डिको० खण्ड-6 गाजियाबाद, असिको० खण्ड-15 कानपुर, डिको० खण्ड-20 कानपुर, डिको० खण्ड-2 लखनऊ, असिको० खण्ड-2 लखनऊ, डिको० खण्ड-12 लखनऊ, डिको० खण्ड-19 लखनऊ, डिको० खण्ड-1 मेरठ, असिको० खण्ड-12 मेरठ, डिको० खण्ड-2 मिर्जापुर, डिको० मोदी नगर, डिको० खण्ड-2 नोएडा, डिको० खण्ड-5 नोएडा एवं डिको० खण्ड-13 नोएडा।

⁵ अक्टूबर 2009 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

⁶ डिको० खण्ड-2 गाजियाबाद, असिको० खण्ड-15 कानपुर, डिको० खण्ड-20 कानपुर, डिको० खण्ड-2 लखनऊ, असिको० खण्ड-2 लखनऊ, असिको० खण्ड-12 मेरठ, डिको० खण्ड-2 मिर्जापुर, डिको० मोदीनगर, डिको० खण्ड-2 नोएडा, डिको० खण्ड-5 नोएडा (दो मामले) एवं डिको० खण्ड-13 नोएडा।

⁷ डिको० खण्ड-6 गाजियाबाद, डिको० खण्ड-12 लखनऊ, डिको० खण्ड-19 लखनऊ एवं डिको० खण्ड-1 मेरठ।

2.10.3 कर की गलत दर लगाये जाने के कारण के0बि0क0 का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अर्तप्रान्तीय बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक चार प्रतिशत एवं 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है तथा के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से अनाच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक 10 प्रतिशत अथवा सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनों में जो भी अधिक हो की दर से कर आरोपणीय है, एवं 1 अप्रैल 2007 से उस दर से कर आरोपणीय है जो कि उस सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर लागू है।

हमने मार्च 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य 13 वार्षिकों⁸ में देखा कि 13 व्यापारियों ने वर्ष 2002–03 से 2007–08 के दौरान ₹ 15.23 करोड़ मूल्य के माल की अर्तप्रान्तीय बिक्री की। कोनिप्रा० ने अगस्त 2004 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय बिक्री पर लागू दर के बजाय कम दर से के0बि0क0 आरोपित किया अथवा करमुक्ति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.65

लाख कम के0बि0क0 का आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों⁹ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि 10 प्रकरणों¹⁰ में ₹ 82.88 लाख के0बि0क0 आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 20.30 लाख की वसूली की जा चुकी है। अग्रेतर, विभाग ने बताया कि दो कोनिप्रा०¹¹ के प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

⁸ डिको खण्ड-1 इलाहाबाद, वार्कोका० खण्ड-1 गाजियाबाद, डिको खण्ड-13 गाजियाबाद, डिको खण्ड-15 गाजियाबाद, असिको० खण्ड-15 गाजियाबाद, डिको खण्ड-17 गाजियाबाद, डिको खण्ड-6 कानपुर, डिको खण्ड-16 कानपुर, डिको खण्ड-26 कानपुर, डिको कोसीकलां, डिको मोदीनगर, डिको खण्ड-2 नोएडा एवं डिको खण्ड-5 नोएडा।

⁹ मार्च 2007 एवं अगस्त 2012 के मध्य।

¹⁰ डिको खण्ड-1 इलाहाबाद, वार्कोअधि० खण्ड-1 गाजियाबाद, डिको खण्ड-15 गाजियाबाद, असिको० खण्ड-15 गाजियाबाद, डिको खण्ड-6 कानपुर, डिको खण्ड-16 कानपुर, डिको खण्ड-26 कानपुर, डिको कोसीकलां, डिको खण्ड-2 नोएडा, एवं डिको खण्ड-5 नोएडा।

¹¹ डिको खण्ड-13 एवं 15 गाजियाबाद।

2.11 अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसे कि अनियमित संव्यवहार, लेखाओं से बाहर संव्यवहार, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल व्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.34 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण एवं ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है।

2.11.1 विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा—15 ए(1)(ए) एवं उ०प्र०म०स०क० अधिनियम की धारा 54(1)(1) के अन्तर्गत यदि क०नि०प्रा० इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है, तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो, तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में, ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 से अधिक हो उ०प्र०व्या०क० अधिनियम के अन्तर्गत तथा देय कर का 20 प्रतिशत उ०प्र०म०स०क० अधिनियम के अन्तर्गत अदा करे।

हमने सितम्बर 2009 एवं फरवरी 2012 के मध्य 13 बारकोका¹² में देखा कि 15 व्यापारियों ने अवधि 2005–06 से 2009–10 के लिए ₹ 4.19 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि तीन से 759 दिनों तक की थी। क०नि०प्रा० ने दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 59.18

लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि परिशिष्ट-IV में वर्णित है।

हमारे द्वारा प्रकरण¹³ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि ₹ 54.84 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 7.99 लाख की वसूली की जा चुकी है। असि० कमि० खण्ड-21 लखनऊ के सम्बन्ध में हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

¹² डि०क० खण्ड-3 बरेली, डि०क० खण्ड-2 चन्दौसी (दो मामले), डि०क० खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डि०क० खण्ड-1 गोरखपुर, असि०क० खण्ड-5 झौसी, ज्या०क० (कार्प००स०)-II कानपुर (दो मामले), डि०क० खण्ड-5 कानपुर, ज्या०क० (कार्प००स०)-आयल सेक्टर लखनऊ, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, असि०क० खण्ड-21 लखनऊ, डि०क० खण्ड-2 मथुरा एवं डि०क० खण्ड-5 नोएडा।

¹³ अगस्त 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य।

2.11.2 टर्न ओवर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए(1)(सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्न ओवर के लिए सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

2009 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्न ओवर पर ₹ 43.18 लाख व्या0क0 आरोपित किया। यद्यपि कि अधिकरण एवं अपीलीय प्राधिकारी ने इसका अनुमोदन कर दिया था कि व्यापारियों ने अपना टर्नओवर छिपाया था, क0नि0प्रा0 ने ₹ 21.59 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है:

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	छिपाये गये टर्नओवर	वस्तु का नाम	छिपाये गये टर्नओवर पर लगाया गया कर	(₹ लाख में) आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1.	आसि0क0 खण्ड-8 आगरा	1	1997-98 (नवम्बर 1998)	25.00	डीजल इंजन स्पेयर्स	1.88	0.94
		1	1998-99 (सितम्बर 2005)	500.00	फुटवियर	38.00	19.00
2.	डिंक0 खण्ड-1 सीतापुर	1	2003-04 (नवम्बर 2009)	97.88	मेन्था आयल एवं दाल	3.30	1.65
	योग	3		622.88		43.18	21.59

हमारे द्वारा प्रकरण¹⁴ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 21.59 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। हमें इसकी वसूली से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

2.11.3 मिथ्या घोषणा पत्र जारी करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 15ए(1)(एल) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो वह कर के अतिरिक्त ऐसे कर की धनराशि जो बचा ली गयी होती के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अधिक की राशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

पर कर आरोपणीय नहीं रहा, जो कि गणना करने पर ₹ 69.18 लाख आती है। यद्यपि कि क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 एवं मई 2010 के मध्य इन व्यापारियों का कर निर्धारण

व्यापारियों के अन्तिम कर निर्धारण आदेश, वाणिज्य कर अधिकरण के निर्णय एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से हमने देखा कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 1997-98 से 2003-04 के दौरान ₹ 6.23 करोड़ के विक्रय टर्न ओवर को छिपाया था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 1998 एवं नवम्बर

¹⁴ मार्च 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य।

करते समय डिओको खण्ड-16 कानपुर के प्रकरण में ₹ 33.32 लाख व्यापको आरोपित किया परन्तु ₹ 16.66 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। दूसरे प्रकरण में कर ₹ 35.86 लाख एवं न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ 17.92 लाख दोनों आरोपित नहीं किया गया। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र०सं०	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (क०नि०आ० का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	मिथ्या घोषणा पत्र जारी करके बचाया गया कर	(₹ लाख में)	
						आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड	
1.	डिओको खण्ड-8 व्यापको गाजियाबाद	2006-07 (मार्च 2009)	प्लान्ट मशीनरी एवं इसके भाग	289.52		28.95	14.47
		2007-08 (उ०प्र०व्या०को) (मार्च 2010)	—तदैव—	76.74		6.91	3.45
2.	डिओको खण्ड-16 व्यापको कानपुर	2002-03 (मई 2010)	पेट्रोलियम आधारित तेल	208.23		33.32	16.66
योग				574.49		69.18	34.58

हमारे द्वारा प्रकरण¹⁵ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि डिओको खण्ड-8 गाजियाबाद ने ₹ 35.86 लाख व्यापको एवं अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 71.72 लाख आरोपित कर दिया है परन्तु माँग पर सितम्बर 2012 में रोक लगा दी गयी है, दूसरे प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.11.4 केऽबिऽको के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

केऽबिऽको अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल केऽबिऽको अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी यदि क०नि०प्रा० उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की विक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने नवम्बर 2009 एवं जनवरी 2012 के मध्य देखा कि वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 के दौरान आठ व्यापारियों ने फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर ₹ 7.21 करोड़ का माल केऽबिऽको की रियायती दर पर खरीदा। ये वस्तुएं उनको केऽबिऽको अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थीं। क०नि०प्रा० ने फरवरी 2009 एवं मार्च

2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय अभियोजन की अनुशंसा नहीं की और न ही सारणी में दर्शाये गये विवरण के अनुसार ₹ 1.12 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया।

¹⁵ नवम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क०नि०आ० का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	कर की दर ¹⁶ (प्रतिशत में)	(₹ लाख में) आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वांक० (का०प०स०)–बी गौतमबुद्धनगर	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2011)	आफिस बंक हाउस, स्केफोल्डिंग	36.77	10	5.52
		1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (फरवरी 2010)	कोटिंग पाउडर, ई०पी०एस०, ई०पी०एस० रेजिन आदि पेन्ट	493.09 40.34	10 12	73.96 7.26
2.	डिंक० खण्ड-16 कानपुर	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2009)	निर्माण सामग्री	0.27	10	0.04
				पथर	4.27	8	0.51
				स्टील स्ट्रक्चर	0.20	4	0.01
3.	डिंक० खण्ड-21 लखनऊ	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2010)	चेचिस	78.26	12	14.08
4.	डिंक० खण्ड-2 नोएडा	1	2006-07 (जून 2010)	एलमुनियम सेक्शन	5.92	10	0.89
5.	असिंक० खण्ड-8 नोएडा	1	2005-06 (अप्रैल 2010)	एआर कन्डीशनर, टाइल्स	10.39	16	2.49
				चैनल, फर्नीचर, आर०ओ० सिस्टम	6.52	10	0.98
6.	डिंक० खण्ड-9 नोएडा	1	2006-07 (फरवरी 2009)	सी०पी०आई०, बियरिंग, साल्वेन्ट सीमेन्ट	9.39	10	1.41
7.	डिंक० खण्ड-11 नोएडा	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (फरवरी 2010)	मशीनरी, डाई, तेल, केमिकल, सी०आई० कारिंटंग	24.64	10	3.70
				लकड़ी	1.58	16	0.38
				फर्नीचर	0.29	8	0.03
				मशीनरी, डाई (01.04.2007 से 31.12.2007 तक)	1.10	9	0.15
				केमिकल (01.04.2007 से 31.12.2007 तक)	7.65	4	0.46
योग		8			720.68		111.87

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर¹⁶ विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 1.05 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 3.47 लाख की वसूली की जा चुकी है। अन्तिम वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

¹⁶ अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य।

2.11.5 सकर्म संविदा कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8डी(6) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी सकर्म के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने मार्च 2011 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य 11 वारोकरो¹⁷ के कर निर्धारण आदेशों में देखा कि 13 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय औत पर ₹ 68.07 लाख के सकर्म संविदा कर की कटौती की परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से लेकर 311 दिनों तक की थी। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय 13 प्रकरणों में ₹ 1.36 करोड़ का अधिकतम

अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा प्रकरण¹⁸ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि 12 मामलों में ₹ 1.34 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 1.78 लाख की वसूली की जा चुकी है। अवशेष मामले का उत्तर हमें प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

¹⁷ डिको खण्ड-11 आगरा, डिको खण्ड-16 गाजियाबाद, असिओको खण्ड-18 गाजियाबाद, डिको खण्ड-17 कानपुर, असिओको खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, डिको खण्ड-2 नोएडा, डिको खण्ड-9 नोएडा(तीन मामले), डिको पलियांकला, असिओको खण्ड-12 सहारनपुर, असिओको खण्ड-1 शामली एवं डिको खण्ड-14 वाराणसी।

¹⁸ अप्रैल 2011 एवं जून 2012 के मध्य।

2.11.6 कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उत्तराखण्ड अधिनियम की धारा 8(1) एवं उत्तराखण्ड अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर को निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने पर साधारण दर से ब्याज देय होगा एवं अदेय धनराशि पर ऐसी धनराशि को जमा किये जाने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के अगले दिन से लेकर धनराशि के जमा किये जाने की तिथि तक 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रति माह, 31 दिसम्बर 2007 तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं उसके पश्चात 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

हमने नौ वार्षिकों¹⁹ में फरवरी 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य देखा कि नौ व्यापारियों ने, जिनका वर्ष 1980–81 से 2007–08 के लिए कर निर्धारण अक्टूबर 2009 एवं जनवरी 2011 के मध्य किया गया था, ने अपने स्वीकृत कर ₹ 62.33 लाख को 465 से लेकर 10,987 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया था। करनियों ने किसी भी प्रकरण में विलम्ब

से कर जमा करने पर ब्याज के भुगतान हेतु नोटिस जारी नहीं किया। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर ₹ 62.52 लाख के ब्याज की देयता आकृष्ट होती थी जिसे करनियों ने प्रभारित नहीं किया।

हमारे द्वारा प्रकरण²⁰ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 61.55 लाख का ब्याज प्रभारित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 8.69 लाख की वसूली की जा चुकी है। अवशेष मामलों में वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

¹⁹ ज्वार्कोकार्पोसो) आगरा, डिकोखण्ड-18 गाजियाबाद, डिकोखण्ड-5 कानपुर, डिकोखण्ड-3 मथुरा, असियोको खण्ड-5 नोएडा, डिकोखण्ड-12 नोएडा, डिकोखण्ड-14 नोएडा, असियोको खण्ड-2 रामपुर एवं डिकोखण्ड-4 सोनभद्र।

²⁰ मार्च 2011 एवं मई 2012 के मध्य।

2.11.7 कर का गलत समायोजन किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 43(1) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किसी व्यक्ति से माल के क्रय या विक्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की गयी हो, वहाँ ऐसा व्यापारी इस प्रकार वसूल की गयी सम्पूर्ण धनराशि को निर्धारित रीति से एवं निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करेगा। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(16) के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कोई धनराशि कर के रूप में वसूल करता है, तो वह ऐसे वसूले गये कर की धनराशि के तीन गुने अर्थदण्ड का दायी होगा। अग्रेतर, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 द्वारा विवरणी के प्रारम्भिक परीक्षण से यह प्रकट होता हो कि विवरणी में प्रदर्शित संगणना दोषपूर्ण है या दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि या प्रदर्शित देय कर की धनराशि गलत है, वहाँ क0नि0प्रा0 ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे और व्यापारी को सुनवायी का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात किसी अन्य मामले में कर की देय धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि का अवधारण, ऐसी कर अवधि के लिए, कर निर्धारण का अनन्तिम आदेश पारित करके कर सकता है।

रीति से वापस किया जायेगा जिस पर ऐसी धनराशि का दायित्व अन्ततः पारित किया गया हो।

फरवरी 2011 में कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 ने इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए व्यापारी द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से अर्जित एवं समायोजित किये गये ₹ 2.79 लाख के कर को अस्वीकार नहीं किया एवं धारा 54(1)(16) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 8.37 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा प्रकरण²¹ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 8.37 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं ₹ 2.79 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गयी है। हमें वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

हमने नवम्बर 2011 में डिप्टी कमिश्नर खण्ड-16 कानपुर के कार्यालय में पंजीकृत व्यापारियों के कर निर्धारण आदेश एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच के दौरान देखा कि एक व्यापारी ने जनवरी 2008 में माल की बिक्री पर ₹ 2.79 लाख अधिक मू0सं0क0 वसूल किया एवं इसे देय समय के अन्तर्गत कोषागार में जमा कर दिया। अग्रेतर, व्यापारी ने इसे माह फरवरी 2008 के देय कर में गलत ढंग से समायोजित कर दिया। धारा 43 की उप धारा 2, 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार कोई धनराशि जो कर के रूप में देय नहीं है एवं व्यापारी द्वारा जमा कर दी गयी हो, राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के वास्ते जिस पर माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में ऐसी अधिक धनराशि अन्ततः प्रभारित की गयी है, को धरोहर के रूप में रखा जायेगा एवं मांगे जाने पर ऐसे व्यक्ति को निर्धारित

²¹ जनवरी 2012 में।

2.12 विभिन्न घोषणा पत्रों पर अनियमित करमुक्ति/कर छूट

2.12.1 फार्म 'सी' के विरुद्ध अनियमित कर मुक्ति/कर छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवत) नियमावली, 1957 के नियम 12(1) के अन्तर्गत एक फार्म 'सी' पर की गयी घोषणा में बिक्री सम्बन्धी वे सभी संव्यवहार आच्छादित होंगे जो वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास के दौरान उन्हीं दो व्यापारियों के बीच होते हैं।

हमने अक्टूबर 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य देखा कि छः व्यापारियों ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के मध्य 12 फार्म 'सी' से समर्थित ₹ 4.29 करोड़ के माल की बिक्री रियायती दर

पर की। इनमें एक त्रैमास से ज्यादा के संव्यवहार आच्छादित थे एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार एक ही फार्म 'सी' से आच्छादित एक से अधिक त्रैमास के संव्यवहार पर रियायती दर का किया गया दावा रियायत के योग्य नहीं था। फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 ने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक त्रैमास से अधिक के संव्यवहारों पर भी रियायती दर से के0बि0क0 आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.45 लाख के कर की अनियमित छूट प्रदान की गयी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	आपत्तिगत प्रपत्र से आच्छादित माल का कुल मूल्य	व्यापारी को लाभप्रद त्रैमास के संव्यवहार को अनुमन्य करने के पश्चात अच्छादित संव्यवहार की धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कर की दर में अन्तर	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1.	डिंक0 खण्ड-8 बरेली	1	2006-07 (फरवरी 2009)	मेन्था आयल	115.73	8.91	10	4	6	0.53
2.	डिंक0 खण्ड-3 फतेहगढ़	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	तम्बाकू	47.45	7.47	32.5	3	29.5	2.20
3.	डिंक0 खण्ड-9 हरदोई	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	गेहूँ	91.39	34.42	4	0	4	1.38
4.	डिंक0 खण्ड-1 ललितपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	गेहूँ ज्वार	12.58	4.99	4	0	4	0.20
			—तदैव—	दाल	80.13	29.29	2	0	2	0.59
5.	ज्वा0क0 (कार्पोस0) —ए नोएडा	1	2006-07 (मार्च 2009)	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुए, स्क्रैप, मशीनरी	53.15	12.77	10	4	6	0.77
6.	डिंक0 खण्ड-1 सिद्धार्थनगर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	टिम्बर	28.93	13.66	16	3	13	1.78
योग	6				429.36	111.51				7.45

हमारे द्वारा प्रकरण²² को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 6.13 लाख के0बि0क0 आरोपित²³ कर दिया गया है, इसमें से ₹ 77,000 की वसूली²⁴ की जा चुकी है एवं अन्य मामलों में कार्यवाही जारी है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

²² नवम्बर 2010 एवं अप्रैल 2012 के मध्य।

²³ क्रम संख्या 2, 3, 5 एवं 6 के सम्बन्ध में।

²⁴ क्रम संख्या 5 के सम्बन्ध में।

2.12.2 फार्म 'एफ' के विरुद्ध अनियमित कर मुक्ति/कर छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आर्वत) नियमावली, 1957 के नियम 12(5) के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा एक कैलेण्डर मास की अवधि के दौरान, यथास्थिति, अपने कारोबार के किसी अन्य स्थान को या अपने एजेन्ट या मालिक को किया गया माल का अन्तरण एक ही फार्म 'एफ' पर की गयी घोषणा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

हमने दिसम्बर 2008 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य देखा कि पाँच व्यापारियों ने वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 के दौरान 12 फार्म 'एफ' से समर्थित ₹ 68.22 करोड़ का माल राज्य के बाहर हस्तान्तरित किया। इनमें एक माह से ज्यादा के संव्यवहार आच्छादित थे एवं

नियम के प्रावधानों के अनुसार एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से ज्यादा के आच्छादित संव्यवहार एवं छूट के दावे, छूट के लिए अनुमन्य नहीं थे। क0नि0आ0 ने जुलाई 2007 एवं जनवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से अधिक के संव्यवहार को मान्यता प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.54 करोड़ के संव्यवहार पर ₹ 2.67 करोड़ के के0बि0क0 की अनियमित छूट दी गयी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	आपत्तिगत प्रपत्र से अच्छादित माल का कुल मूल्य	व्यापारी को लाभप्रद माह के संव्यवहार को अनुमन्य करने के पश्चात अच्छादित संव्यवहार की धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1.	असि0क0 खण्ड-2 बाराबंकी	1	2005-06 (जुलाई 2007)	मेन्था आयल	2,955.80	1,184.38	10	118.40
2.	डिंक0 खण्ड-28 कानपुर	1	2005-06 (दिसम्बर 2009)	डिटर्जन्ट पाउडर	26.66	2.52	10	0.25
3.	डिंक0 कोसीकलाँ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2011)	लकड़ी के अपरिष्कृत फर्नीचर	139.04	74.03	8	5.92
4.	डिंक0 खण्ड-20 लखनऊ	1	2006-07 (फरवरी 2009)	चावल	3,660.39	1,770.12	8	141.61
5.	ज्या0क0 (कार्पोसो) मुरादाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (दिसम्बर 2009)	पैकिंग मैटेरियल	40.24	22.75	4	0.91
योग		5			6,822.13	3,053.80		267.09

हमारे द्वारा प्रकरण²⁵ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 2.66 करोड़ के0बि0क0 आरोपित²⁶ कर दिया गया है जिसमें से ₹ 25,000 की वसूली²⁷ की जा चुकी है एवं अवशेष मामले में कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हैं (फरवरी 2013)।

²⁵ जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

²⁶ क्रम संख्या 1, 2, 3, एवं 4 के प्रकरण में।

²⁷ क्रम संख्या 2 के प्रकरण में।

2.12.3 कालबाधित घोषणा पत्र पर दी गयी कर छूट

उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 25-ख(1) के अन्तर्गत यदि मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाला कोई व्यापारी किसी विज्ञापित माल का निर्माण करने के प्रयोजन से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई माल खरीदे और छूट लेने का इच्छुक हो तो वह विक्रेता व्यापारी को प्रपत्र III-ख में एक प्रमाण पत्र देगा एवं नियम 25-ख(3) के अन्तर्गत व्यापारी को किसी वित्तीय वर्ष में जारी एक प्रपत्र III-ख की घोषणा उस वित्तीय वर्ष एवं उससे आगे एवं पीछे के दो वित्तीय वर्षों के दौरान की गयी खरीद एवं बिक्री के संव्यवहार के लिए वैध होगी।

अनुमन्य नहीं थे। फिर भी क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय रियायती दर से व्या0क0 आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.85 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

हमारे द्वारा प्रकरण को अप्रैल 2011 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 40.80 लाख व्या0क0 आरोपित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 83,000 की वसूली की जा चुकी है।

हमने नौ वारोकोका10²⁸ में जनवरी 2011 एवं मई 2011 के मध्य देखा कि नौ व्यापारियों ने वर्ष 2004–05 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के मध्य प्रपत्र III-ख²⁹ के विरुद्ध ₹ 8.83 करोड़ के माल की रियायती दर पर बिक्री की। व्यापारियों द्वारा संव्यवहार के लिए प्रयोग किये गये 50 घोषणा पत्र कालबाधित थे एवं व्या0क0 की रियायती दर के लिए

²⁸ डिको खण्ड-4 गाजियाबाद, असिको खण्ड-4 गाजियाबाद, डिको खण्ड-4 हरदोई, डिको खण्ड-5 कानपुर, डिको खण्ड-30 कानपुर, डिको खण्ड-2 खतौली, डिको मोदीनगर, डिको खण्ड-7 मुजफ्फरनगर एवं डिको खण्ड-3 रायबरेली।

²⁹ कुछ निश्चित निर्माताओं को विशेष राहत उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा उन्हे प्रपत्र III-ख जारी किया जाता है। इसे दूसरे व्यापारी को जारी करके वे कर की रियायती दर अथवा पूर्ण करमुक्त अथवा आशिक करमुक्त पर माल खरीद सकते हैं।

2.12. 4 घोषणा पत्र पर प्रावधानित मौद्रिक सीमा से अधिक के संव्यवहार पर अनियमित कर छूट

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3-छ (1) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उ0प्र0 के किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित या गठित निगम या सरकारी उपक्रम को बेचे गये माल के विक्रय धन पर यदि व्यापारी ऐसे विभाग से प्राप्त प्रपत्र III घ या III घ(1) में प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करे तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी बिक्री के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, कर लगाया और दिया जायेगा। उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12-ग(3) के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र III घ एवं III घ(1) में की गयी कोई भी एकल घोषणा एक कर निर्धारण वर्ष एवं ₹ 5 लाख से अधिक के क्रय या विक्रय के संव्यवहार को आच्छादित नहीं करेगी।

उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12-ग(8) के अनुसार एक घोषणा पत्र पर नियम 12-क के उप नियम(3) से (6) एवं (10) से (20) के प्रावधान लागू होंगे।

संव्यवहार पर भी रियायती दर से करारोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.38 लाख की अनियमित कर छूट प्रदान की गयी जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रति प्रपत्र अनुमन्य ₹ पैंच लाख घटाने के पश्चात आच्छादित संव्यवहार	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1.	असि0क0 खण्ड-2 बुलन्दशहर	1	2005-06 (जनवरी 2010)	रोड़ी बदरपुर	2.63	8	4	0.11
			2006-07 (जनवरी 2010)	-तदैव-	20.32	8	4	0.81
2.	डिं0क0 खण्ड-1 देवरिया	1	2005-06 (नवम्बर 2010)	पथर एवं गिटटी	30.51	8	4	1.22
			2006-07 (जुलाई 2010)	-तदैव-	46.56	8	4	1.86
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जुलाई 2010)	-तदैव-	10.90	8	4	0.43

³⁰ केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित या गठित निगम या उपक्रम को या किसी सरकारी कम्पनी को कर की विशेष राहत प्रदान करने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रपत्र III घ या III घ (1) की सुविधा प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रति प्रपत्र अनुमन्य ₹ पाँच लाख घटाने के पश्चात आच्छादित संव्यवहार	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
3.	डिंक0 खण्ड-6 कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	डीजल लोकोमोटि व मशीनरी	575.50	9	4	28.77
4.	डिंक0 कोसीकलौ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (अक्टूबर 2010)	बिटुमिन	16.98	20	4	2.72
5.	डिंक0 खण्ड-8 लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	इलेक्ट्रानि क वस्तुएँ	17.05	10	4	1.02
6.	असि0क0 खण्ड-2 रामपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2010)	इंटरलाइं कंग ब्लाक	97.96	10	4	5.87
	योग	6			707.49			38.38

हमारे द्वारा प्रकरण³¹ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि क्र0सं0 1, 3, एवं 4 के मामले में ₹ 32.41 लाख व्या0क0 आरोपित कर दिया गया है। क्र0सं0 2, 5 एवं 6 के मामले में विभाग ने आगे बताया कि बिक्री सरकारी उपक्रम को की गयी है जिनका टर्न ओवर ₹ 5 करोड़ से अधिक है एवं उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12-क(7)(i) के अन्तर्गत एकल घोषणा पत्र पर ₹ 5 लाख की मौद्रिक सीमा लागू नहीं होती है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12-ग(8) के अन्तर्गत नियम 12-क के उप नियम (3) से (6) एवं (10) से (20) के प्रावधान ही एक घोषणा पत्र पर लागू होते हैं न कि नियम 12-क के उप नियम (7) के प्रावधान।

2.13 प्रवेश कर का अनारोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2001 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 1.56 करोड़ का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित नहीं की गयी कर की धनराशि
1.	डिंक0 खण्ड-2 चौदपुर, बिजनौर	1	2005-06 (अक्टूबर 2008)	एल0डी0ओ0	65.01	5	3.25
		1	2007-08 (मार्च 2010)	मशीनरी	25.01	2	0.50
2.	डिंक0 खण्ड-3 इटावा,	1	2004-05 (मार्च 2009)	फर्नेश आयल, एच0एस0डी0 एवं बिटुमिन	151.95	5	7.60
			2006-07 (मार्च 2009)	-तदैव-	1,473.61	5	73.68

³¹ मई 2011 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित नहीं की गयी कर की धनराशि
3.	असि0क0 खण्ड-17 गाजियाबाद	1	2007-08 (जनवरी 2010)	प्राकृतिक गैस	12.58	5	0.63
4.	डिंक0 खण्ड-6 कानपुर	1	2007-08 (मार्च 2011)	परिष्कृत चमड़ा	236.68	2	4.73
5.	डिंक0 खण्ड-18 कानपुर	1	2007-08 (मार्च 2010)	फर्नेश आयल	68.02	5	3.40
6.	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) नोएडा	1	2007-08 (मार्च 2010)	फर्नेश आयल	1,237.10	5	61.86
योग		7			3,269.96		155.65

हमारे द्वारा प्रकरण³² को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि चार मामलों³³ में ₹ 85.66 लाख का प्रवेश कर आरोपित कर दिया गया है एवं अवशेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें अभी प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.14 राज्य विकास कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3-ज सपष्टित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0क0 वसूल किया जायेगा।

2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 16.72 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर रा0वि0क0 आरोपित नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.72 लाख रा0वि0क0 अनारोपित रहा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

हमने मार्च 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य देखा कि 10 व्यापारियों के मामलों में जिनका समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था, क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2009 से जनवरी 2011 के मध्य वर्ष

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय राज्य विकास कर (₹ लाख में)
1.	असि0क0 खण्ड-4 गाजियाबाद	1	2006-07 (जून 2010)	80.26	0.80
2.	डिंक0 खण्ड-18, गाजियाबाद	1	2006-07 (फरवरी 2010)	140.64	1.41
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	20.45	0.20
3.	डिंक0 खण्ड-8, कानपुर	1	2006-07 (अक्टूबर 2010)	96.47	0.97
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2011)	39.79	0.40
4.	डिंक0 खण्ड-30 कानपुर	1	2005-06 (जनवरी 2009)	44.28	0.44

³² फरवरी 2010 एवं फरवरी 2012 के मध्य।

³³ क्रम संख्या 1, 2 एवं 3।

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क०नि०आ० का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय राज्य विकास कर
5.	डिंको मोदीनगर	1	2006-07 (मार्च 2009)	53.27	0.53
		1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2010)	127.67	1.28
6.	असिंको खण्ड-3 नोएडा	1	2005-06 (जुलाई 2010)	163.83	1.64
			2006-07 (जुलाई 2010)	111.43	1.11
		1	2005-06 (अप्रैल 2010)	31.58	0.32
			2006-07 (अप्रैल 2010)	68.71	0.69
7.	डिंको खण्ड-3 रायबरेली	1	2005-06 (मार्च 2009)	110.33	1.10
8.	डिंको खण्ड-12 सहारनपुर	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (अक्टूबर 2009)	583.13	5.83
योग		10		1,671.84	16.72

हमारे द्वारा प्रकरण³⁴ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 15.12 लाख रा०वि०क० आरोपित कर दिया गया है, इसमें से ₹ 12.78 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं अवशेष प्रकरण³⁵ में कार्यवाही प्रक्रिया में है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.15 पंजीयन/मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

2.15.1 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में सीमेन्ट की खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

क०वि०क० अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायति दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जो उसके द्वारा, पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या विजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है।

पुनश्च, कमिश्नर, वाणिज्य कर (क०वा०क०) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं०-१७ दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेन्ट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

गलत माल के शामिल होने के आधार पर व्यापारी ने वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के

हमने ज्वाइण्ट कमिश्नर (क०स०) वाणिज्य कर लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2011) के दौरान देखा कि एक व्यापारी³⁶ को जुलाई 2003 में कच्चे माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (क०प०प्र०प०) प्रदान किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री भी शामिल थी। क०प०प्र०प० में इस

³⁴ मई 2010 एवं सितम्बर 2011 के मध्य।

³⁵ क्रम संख्या 3।

³⁶ बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड।

दौरान ₹ 1.52 करोड़ के सीमेन्ट की खरीद की एवं इसे मशीन की नींव/भवन निर्माण में प्रयोग किया। उसने इस खरीद पर के0बि0क0 की रियायती दर (2006–07 में चार प्रतिशत एवं 2007–08 में तीन प्रतिशत) का दावा किया।

व्यापारी गन्ने³⁷ से चीनी, शीरा एवं खोई के निर्माता थे एवं सीमेन्ट उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जाये जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0पं0प्र0प0 में सीमेन्ट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के साथ ही साथ क0वा0क0 के आदेशों के विरुद्ध भी था। क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2007–08 के लिए क0नि0आ0 पारित करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया। क0नि0प्रा0 की इस त्रुटि के फलस्वरूप व्यापारी को ₹ 12.21 लाख का अनुचित लाभ मिला।

हमारे द्वारा प्रकरण को जनवरी 2012 में प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि ₹ 28.47 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है तथा के0पं0प्र0प0 से सीमन्ट के निरसन के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है।

2.15.2 मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 4 ख के अन्तर्गत दिनांक 21 मई 1994 को जारी शासकीय विज्ञाप्ति के अनुसार निर्माता को किसी माल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य भण्डार, यन्त्र, संयन्त्र, उपकरण, अतिरिक्त पुरजा, एसेसरीज, कम्पोनेन्ट, ईंधन या स्नेहक की खरीद पर कर की विशेष राहत प्राप्त है।

किया जाता था, को कच्चे माल की रियायती दर से खरीद करने हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह न्यायिक रूप से निर्णीत³⁸ हो चुका है कि एम0एस0 राड से एम0एस0 वायर बनाना निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि व्यापारी किसी भी निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं थे अतः वे वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान की गयी ₹ 8.95 करोड़ के कच्चे माल की खरीद पर व्या0क0 की रियायती दर के हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति एवं ₹ 17.89 लाख की राजस्व क्षति हुयी जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रपत्र से आच्छादित माल का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1.	असि0क0 खण्ड-4 वा0क0 इलाहाबाद	1	2005-06 (अगस्त 2008)	वायर राड	336.06	4	2	6.72
2.	डि0क0 खण्ड-14 वा0क0 इलाहाबाद	1	2006-07 (मार्च 2009)	-तदैव-	306.96	4	2	6.13
			2007-08 (जनवरी 2010)	-तदैव-	252.12	4	2	5.04
योग		2			895.14			17.89

³⁷ दिनांक 27 मार्च 2010 के क0नि0आ0 के अनुसार।

³⁸ क0व्या0क0 बनाम डीसेन्ट इण्डस्ट्रीज एस0टी0आई0 2005 उच्च न्यायालय इलाहाबाद 205 : 2005 एन0टी0एन0-II (वाल्यूम-26) 202 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

हमारे द्वारा प्रकरण³⁹ को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि क्र0सं0-2 के प्रकरण में ₹ 11.18 लाख का व्यापक आरोपित कर दिया गया है एवं दूसरे प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

2.16 इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से सम्बन्धित अनियमितताएं

उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से वैट की शुरूआत के साथ ही विभाग में पंजीकृत व्यापारी, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का दावा करने के पात्र बन गये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारियों द्वारा किये गये आई0टी0सी0 के दावे सही हैं विभिन्न प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं एवं विभाग ने आई0टी0सी0 का डाटाबेस बनाये रखने, आई0टी0सी0 के दावों का सत्यापन करने आदि के लिए क0नि0प्रा0 को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये हैं। हमारे द्वारा विभाग के अभिलेखों की किये गये जांच ने आई0टी0सी0 के दावों से सम्बन्धित अनेक अनियमितताओं को प्रकाश में लाया है जैसे कि अनियमित/गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 का दावा, अतिरिक्त दावा, आई0टी0सी0 को उत्क्रमित न किया जाना आदि। हमने यह भी देखा कि आई0टी0सी0 के डाटाबेस का रखरखाव, आई0टी0सी0 दावों का सत्यापन, कर सम्परीक्षा आदि से सम्बन्धित विभागीय आदेशों का विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के एक बड़े प्रतिशत भाग में पालन नहीं किया गया था। कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। ये केवल निर्दर्शी हैं और हमारे परीक्षण जांच पर आधारित हैं। हमें लगता है कि सरकार और विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे आई0टी0सी0 के दावों से सम्बन्धित अधिनियम/नियम एवं विभिन्न आदेशों का प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करें।

2.16.1 अर्जित, समायोजित एवं अवशेष आई0टी0सी0 के सम्बन्ध में डाटाबेस का न होना

कमिशनर, वाणिज्य कर ने परिपत्र सं0-414 दिनांक 23.07.2008 द्वारा प्रत्येक एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक क0नि0प्रा0 द्वारा एक रजिस्टर इस प्रारूप में रखा जाये जिसमें माहवार आई0टी0सी0 से सम्बन्धित प्रारम्भिक, अर्जित, समायोजित एवं अन्तिम अवशेष का प्रत्येक व्यापारी से सम्बन्धित विवरण हो एवं इसकी जोनवार सूचना प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को संख्या अनुभाग को प्रस्तुत की जाये। अग्रेतर, दूसरे परिपत्र सं0-809060 दिनांक 03.09.2008 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में तब तक आर-2 के प्रारूप में एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें व्यापारियों के कर अवधि वार दाखिल विवरणी के आँकड़े, जमा कर, अर्जित आई0टी0सी0 एवं इसके समायोजन का विवरण हो जब तक कि विवरणियों की प्रविष्टि कम्प्यूटर में न कर ली जाये।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए हमने 51 वाणिज्य कर कार्यालयों, जिनकी लेखा परीक्षा जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 के मध्य की गयी थीं, से सम्बन्धित सूचनाएँ संकलित कीं और पाया कि एक क0नि0प्रा0⁴¹ को

³⁹ जनवरी 2011 एवं जुलाई 2011 के मध्य।

⁴⁰ डिको खण्ड-1 एवं 2 आगरा, असिंको खण्ड-11 आगरा, डिको खण्ड-10 अलीगढ़, असिंको खण्ड-10 अलीगढ़, असिंको खण्ड-2 आजमगढ़, डिको खण्ड-2 बाराबंकी, असिंको खण्ड-2 बाराबंकी, असिंको खण्ड-6, 7 एवं 10 बरेली, असिंको खण्ड-14 एवं 17 गजियाबाद, असिंको खण्ड-1 एवं 2 कन्नौज, डिको खण्ड-6 कानपुर, असिंको खण्ड-9, 16, 17, 18, 23 एवं 29 कानपुर, डिको खण्ड-3, 6, 9 एवं 10 लखनऊ, असिंको खण्ड-1, 6, 14, 15, 16, 18 एवं 19 लखनऊ, वारोकार्य खण्ड-6 लखनऊ, असिंको खण्ड-10 एवं 13 मेरठ, डिको खण्ड-4 एवं 10 मुरादाबाद, असिंको खण्ड-3, 4 एवं 5 मुरादाबाद, डिको खण्ड-1 एवं 3 पीलीभीत, असिंको खण्ड-1 पीलीभीत, डिको खण्ड-2 प्रतापगढ़, असिंको खण्ड-1 रायबरेली, असिंको खण्ड-3 रामपुर, असिंको खण्ड-2 सीतापुर, डिको खण्ड-1 उन्नाव, डिको खण्ड-1 वाराणसी एवं असिंको खण्ड-15 वाराणसी।

⁴¹ असिंको खण्ड-11 आगरा।

छोड़कर अवशेष 50 करोनीप्रा० ने अर्जित, समायोजित एवं अवशेष आई०टी०सी० का डाटाबेस तैयार करने तथा इसे संख्या अनुभाग को प्रस्तुत करने सम्बन्धी आदेश का पालन नहीं किया था। इसलिए विभाग आसानी से व्यापारियों द्वारा अर्जित की गयी आई०टी०सी० की राशि एवं इसके समायोजन का पता लगाने में सक्षम नहीं है। विशिष्ट आदेश के बावजूद इन सभी 50 करोनीप्रा० ने कहा कि उपरोक्त डाटाबेस को तैयार करने के सम्बन्ध में कोई आदेश या निर्धारित प्रारूप नहीं है।

हमारे द्वारा प्रकरण को जून 2012 में प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया कि निर्देश को दोहराया गया है।

2.16.2 आदेश के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना

उ०प्र०म०स०संक० अधिनियम की धारा 13 व्यापारियों द्वारा इनुपट टैक्स क्रेडिट का दावा करने एवं देय कर के विरुद्ध इसका समायोजन करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करती हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर उ०प्र० ने भी राजस्व के व्यापक हित में वर्ष 2008-09 में वैट इनुपट टैक्स क्रेडिट/2008-09/755/080974/सी०टी० दिनांक 22 अक्टूबर 2008, वैट परिपत्र भाग-2 (08-09)-774/080977/सी०टी० दिनांक 31 अक्टूबर 2008 एवं पत्र सं-ज०सी० (एस०आई०बी०)/मू०/स०प०/2009-10/1593/ वाणिज्य कर दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा आई०टी०सी० के सत्यापन तथा इसका डाटाबेस रखने के सम्बन्ध में करोनीप्रा० को निर्देश जारी किये थे।

वाणिज्य कर विभाग ने विभाग की दक्षता में वृद्धि करने के लिए वेब आधारित सिटिजन सेन्ट्रिक सर्विसेज की उपलब्धता कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर ₹ 45 करोड़ व्यय किया। विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं वेबसाइट (कामटैक्स यू०पी०एन०आई०सी०) पर जनसाधारण के लिए एवं व्यास (वाणिज्य कर आटोमेसन सिस्टम) पर विभागीय उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

उपरोक्त उद्धृत करोवाक० के आदेशों के द्वारा प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि सर्वाधिक आई०टी०सी० का दावा करने वाले 20 व्यापारियों के अनुलग्नक—क (खरीद सूची) का अनुलग्नक—ख (विक्रय सूची) से शत प्रतिशत सत्यापन कर लिया गया है एवं उपरोक्त विवरणों की बाह्य एजेन्सी अथवा विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रविष्ट कराकर एक डाटाबेस तैयार⁴² कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यादृच्छिक सांख्यिकीय विधि से आच्छादित मामलों का शत प्रतिशत जाँच एवं सत्यापन भी किया जाना था।

अवधि 2007-08⁴³ से 2009-10 के लिए नमूना जाँच (2011-12) के दौरान हमने देखा कि:

- राज्य के भीतर व्यापारियों द्वारा किये गये संव्यवहारों के आनलाइन जाँच के लिए कोई तंत्र नहीं है इसके परिणामस्वरूप 78 वाणिज्य कर कार्यालयों⁴⁴ के 137

⁴² पत्र संख्या बैंक एण्ड यू०पी०टी०सी० इन्ट्रीग्रेशन—वाल्यूम—II (2008-09) / 1330 / सी०टी० दिनांक 2 मार्च 2009 द्वारा।
⁴³ 01.01.2008 से 31.03.2008 तक।

⁴⁴ डिक०क०: खण्ड-13 आगरा, खण्ड-5 इलाहाबाद, खण्ड-2 बाराबंकी, खण्ड-1 बुलन्दशहर, खण्ड-1 गोण्डा, खण्ड-5 एवं 6 गोरखपुर, खण्ड-5, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 30 कानपुर खण्ड-3, 6, 10, 12, 13, 16 एवं 21 लखनऊ, खण्ड-2 महराजगंज, खण्ड-3 एवं 6 मथुरा, खण्ड-4, 5, 6, 7 एवं 8 मुरादाबाद, खण्ड-2 रामपुर, खण्ड-9, 10, 11, एवं 12 सहारनपुर तथा खण्ड-1 सिद्धार्थनगर।
असिक०क०: खण्ड-15, 17, 18 एवं 19 आगरा, खण्ड-6 अलीगढ़, खण्ड-5 एवं 17 इलाहाबाद, खण्ड-2 बाराबंकी, खण्ड-6 गोरखपुर, खण्ड-1 गोजा, खण्ड-1 हापुड़, खण्ड-5 एवं 26 कानपुर, खण्ड-1, 6, 12, 13, 14, 16, 18 एवं 19 लखनऊ, खण्ड-2 महराजगंज, खण्ड-3 मथुरा, खण्ड-7 एवं 8 मेरठ, खण्ड-5 मुरादाबाद, खण्ड-6 मुजफ्फरनगर, खण्ड-10, 12 एवं 14 नोएडा, खण्ड-2 रामपुर तथा खण्ड-4 शाहजहांपुर।
ज्वाक०क० (कार्प०स०): बरेली, इटावा, लखनऊ, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर।

व्यापारियों के प्रकरणों में क0नि0प्रा0 ने बिना आनलाइन सत्यापन किये ही ₹ 14.06 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन देय मूसंको के विरुद्ध करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया।

सर्वोच्च 20 व्यापारियों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस नहीं बनाया गया था और यादृच्छिक सांख्यिकीय विधि द्वारा किये गये सत्यापन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। परिणाम के रूप में 279 व्यापारियों⁴⁵ के मामलों में हमने यह पाया:

- क0नि0प्रा0 ने बिना आई0टी0सी0 के दावों के सत्यापन का प्रयास किये ही 45 वा0क0का0⁴⁶ के 86 व्यापारियों के लिए ₹ 13.70 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया।
- क0नि0प्रा0 ने 64 वा0क0का0⁴⁷ से सम्बन्धित 193 व्यापारियों के लिए ₹ 24.06 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया परन्तु सत्यापन के लिए दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

क0नि0प्रा0 ने ₹ 51.02 करोड़ के आई0टी0सी0 के समायोजन सम्बन्धी आदेश बिना इसके सत्यापन किये ही पारित कर दिये।

हमारे द्वारा प्रकरण को जुलाई 2012 में इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2012) एवं बताया कि इन आदेशों के कार्यान्वयन में कठिनाइयां थीं, इन आदेशों को अनुपालन के लिए दोहराया जा रहा है।

⁴⁵ 100 वाणिज्य कर कार्यालयों में।

⁴⁶ डिओको: खण्ड-4 बेरेली, खण्ड-1 एवं 2 गौतमबुद्धनगर, खण्ड-1, 2, 6, 7 एवं 9 गाजियाबाद, खण्ड-2 हरदोई, खण्ड-2, 3, 4 एवं 29 कानपुर, खण्ड-3, 4, 5, एवं 17 लखनऊ, खण्ड-2 एवं 3 मथुरा, खण्ड-1 एवं 5 मेरठ, खण्ड-3 मुरादाबाद, खण्ड-4 मुजफ्फरनगर, खण्ड-4, 5, 7 एवं 11 नोएडा तथा खण्ड-7 एवं 8 वाराणसी।

असि0को: खण्ड-6 आगरा, खण्ड-1 अलीगढ़, खण्ड-7 गाजियाबाद, खण्ड-1 हापुड़, खण्ड-2 कानपुर, खण्ड-1 ललितपुर, खण्ड-8 मुजफ्फरनगर, खण्ड-7 नोएडा, खण्ड-2 शाहजहाँपुर, खण्ड-2 रामपुर, तथा खण्ड-6 एवं 8 वाराणसी।

ज्वा0क0(कार्पोस0): गौतमबुद्धनगर, आगरा (प्रथम), गाजियाबाद एवं कानपुर (द्वितीय)।

⁴⁷ डिओको: खण्ड-2, 5 एवं 10 अलीगढ़, खण्ड-1 अमरोहा, खण्ड-3 पीलीभीत, खण्ड-2 एवं 3 सीतापुर, खण्ड-1 गौतमबुद्धनगर, खण्ड-1 हाथरस, खण्ड-2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 एवं 25 कानपुर, कोशीकलां मथुरा, खण्ड-2, 3, 4, 16 एवं 22 लखनऊ, खण्ड-4 मेरठ, खण्ड-4 मुरादाबाद, खण्ड-4 एवं 8 मुजफ्फरनगर, खण्ड-1 नोएडा, सरधना मेरठ, खण्ड-2, 4 एवं 10 सहारनपुर तथा खण्ड-2, 3 एवं 4 शाहजहाँपुर।

असि0को: खण्ड-6, 11 एवं 17 आगरा, खण्ड-2, 3, 5, एवं 10 अलीगढ़, खण्ड-4 फिरोजाबाद, खण्ड-2 एवं 14 गाजियाबाद, खण्ड-2 हापुड़, खण्ड-3 हरदोई, खण्ड-3, 6, 16, 21 एवं 27 कानपुर, खण्ड-8 लखनऊ, खण्ड-5 मथुरा, खण्ड-6 एवं 8 मेरठ, खण्ड-3 मुरादाबाद, खण्ड-3 पीलीभीत, खण्ड-3 रामपुर, खण्ड-2 शाहजहाँपुर तथा खण्ड-2 सीतापुर।

ज्वा0क0(कार्पोस0): आगरा, बेरेली, एवं कानपुर (द्वितीय)।

2.16.3. गैर अनुमन्य आईटी0सी0 को उत्क्रमित न किया जाना तथा गैर अनुमन्य आईटी0सी0 का दावा किये जाने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट है कि जहाँ, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आईटी0सी0 के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, अर्थदण्ड के रूप में आईटी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आईटी0सी0 का दावा किया है, आईटी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ उत्क्रमित किया जायेगा।

अर्थदण्ड एवं ब्याज अदा करने के लिए निर्देशित करते। हमने देखा कि चार मामलों में क0नि0प्रा0 ने सिर्फ आईटी0सी0 को उत्क्रमित किया परन्तु ब्याज (₹ 14.41 लाख) एवं अर्थदण्ड (₹ 1.32 करोड़) आरोपित नहीं किया। अवशेष दो मामलों में क0नि0प्रा0 ने आईटी0सी0 (₹ 1.43 लाख) उत्क्रमित नहीं किया, ब्याज (₹ 73,000) प्रभारित नहीं किया तथा अर्थदण्ड (₹ 7.15 लाख) आरोपित नहीं किया। विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ10 का माह एवं वर्ष)	मिथ्या या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गयी आईटी0सी0 की धनराशि	क0नि0प्रा द्वारा उत्क्रमित की गयी आईटी0सी0	क0नि0प्रा द्वारा उत्क्रमित नहीं की गयी आईटी0सी0	आरोपणीय ब्याज ⁴⁸	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	असि0क0 खण्ड-16 आगरा	1	2008-09 (फरवरी 2011)	0.41	0.41	-	0.20	2.05
2.	डि0क0 खण्ड-1 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2011)	15.46	15.46	-	7.53	77.30
3.	असि0क0 खण्ड-2 गाजियाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	0.16	0.16	-	0.10	0.80
4.	असि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (जुलाई 2008)	10.32	10.32	-	6.58	51.60
5.	डि0क0 खण्ड-4 नोएडा	1	2008-09 (अगस्त 2011)	1.23	-	1.23	0.60	6.15
6.	असि0क0 खण्ड-8 नोएडा	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	0.20	-	0.20	0.13	1.00
	योग	6		27.78	26.35	1.43	15.14	138.90

⁴⁸ कर निर्धारण वर्ष के अगले वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून 2012 तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से गणना करने पर।

हमारे द्वारा प्रकरण को प्रतिवेदित⁴⁹ किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 1.36 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, ₹ 1.23 लाख की आईटी0सी0 उत्क्रमित कर दी गयी है एवं इसमें से ₹ 58,000 की वसूली की जा चुकी है।

2.17 व्यापारियों को पंजीकृत न किये जाने के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

यह जांच करने के दृष्टिकोण से कि व्यापारी, जो कि भवन निर्माण एवं विकास के कार्य में लगे हुए हैं और आयकर विभाग (आ0क0वि0) में पंजीकृत हैं, क्या वे

वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) में भी पंजीकृत हैं और आ0क0वि0 में दाखिले किये गये टर्नओवर के अनुसार ही वा0क0वि0 में भी अपनी विवरणियाँ दाखिल कर रहे हैं, हमने आ0क0वि0 से पाँच व्यापारियों की वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की बैलेन्स शीट की प्रति संकलित की एवं उसका मिलान पाँच वा0क0का0⁵⁰ के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों से किया और पाया कि दो क0नि0प्रा0⁵¹ ने सभी पहलुओं का आकलन करते हुए सही ढंग से क0नि0आ0 पारित किया था। अवशेष तीन मामलों⁵² में से दो व्यापारी अपंजीकृत थे एवं एक मामले में कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण था। इसके फलस्वरूप ₹ 26.13 लाख के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:

- दो व्यापारियों द्वारा वर्ष 2005–06 के लिए आ0क0वि0 में दाखिल बैलेन्स शीट के अनुसार उन्होंने ₹ 2.03 करोड़ का माल क्रय किया एवं उसका उपयोग फ्लैट्स/भवनों के निर्माण में किया। चूंकि ये व्यापारी वा0क0वि0 में बिना पंजीकरण कराये ही अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ चला रहे थे, वा0क0प्रा0 द्वारा इनके व्या0क0 का निर्धारण नहीं किया गया, जबकि वे ₹ 22.16 लाख व्या0क0 अदा करने के दायी थे।
- एक व्यापारी, जो कि फ्लैट्स/भवनों के निर्माण की गतिविधियाँ वा0क0वि0 में बिना पंजीकरण कराये ही कर रहा था, ने वर्ष 2005–06 के दौरान ₹ 38.18 लाख की लकड़ी की खरीद की एवं इससे दरवाजे एवं खिडकियाँ बनवा कर उनका प्रयोग फ्लैट्स के निर्माण में किया। वा0क0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरवाजे एवं खिडकियों के विक्रय मूल्य ₹ 49.63 लाख पर देय कर ₹ 3.97 लाख को आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा प्रकरण को (जून 2012) प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रथम दो मामलों में ₹ 48.61 लाख व्या0कर आरोपित कर दिया गया है (अक्टूबर 2012)। तीसरे मामले में विभाग ने कहा कि सही कर आरोपित किया गया है। यद्यपि कि विभाग ने इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया कि प्रान्त अन्दर

⁴⁹ अगस्त 2010 एवं अप्रैल 2012 के मध्य।

⁵⁰ डिओक0 खण्ड-13, 14 एवं 20 लखनऊ, डिओक0 खण्ड-16 कानपुर एवं डिओक0 खण्ड-11 वाराणसी।

⁵¹ डिओक0 खण्ड-13 लखनऊ एवं डिओक0 खण्ड-11 वाराणसी।

⁵² सर्वश्री जुगल किशोर इण्डस्ट्रीज, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ (डिओक0 खण्ड-14 लखनऊ), सर्वश्री राजगंगा डेवलपर्स, गोमती नगर, लखनऊ (डिओक0 खण्ड-20 लखनऊ) एवं डलाफिन डेवलपर्स लिंग कानपुर (डिओक0 खण्ड-16 कानपुर)।

से खरीदे गये लकड़ी से बनवाये गये ₹ 49.63⁵³ लाख मूल्य के दरवाजे एवं खिडकियाँ जिनका प्रयोग फ्लैट्स के निर्माण में किया गया था पर देय व्यापार कर ₹ 3.97 लाख को आरोपित नहीं किया गया था।

2.18 कर जमा की पुष्टि से सम्बन्धित प्रावधान का न होना

उ0प्र0व्यापक0 अधिनियम की धारा 3(1) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी अपने कर योग्य माल के विक्रय या क्रय अथवा दोनों जैसा भी प्रकरण हो के कर योग्य टर्नओवर पर प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित दर से कर के भुगतान करने का दायी होगा। परन्तु दोनों अधिनियमों में, किसी योजना के अन्तर्गत बिना मूल्य दिये प्राप्त माल, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज हो, के विक्रय पर वसूले गये कर को सरकारी कोष में जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

हमने सितम्बर 2011 में लेखापरीक्षा के दौरान दो व्यापारियों⁵⁴ में देखा कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 के दौरान ₹ 47.71 करोड़ मूल्य के दवाइयों की बिक्री की एवं उसके साथ ₹ 4 करोड़ मूल्य के दवाइयों को फी बोनस योजना के अन्तर्गत बिना किसी मूल्य के खरीददार व्यापारियों को वितरित किया। परन्तु इसे सुनिश्चित करने के लिए

कि प्राप्तकर्ता व्यापारियों द्वारा इसकी बिक्री किये जाने की दशा में वसूले गये कर को जमा कर दिया गया है, कोई तंत्र नहीं था।

ऐसी दवाइयों के निपटान, जो कि बिना मूल्य के दी गयी थी, को सुनिश्चित करने हेतु हमने इलाहाबाद के आठ व्यापारियों एवं मेरठ के दो व्यापारियों जिन्होंने नोएडा एवं मेरठ के दो व्यापारियों से दवाइयाँ खरीदी थीं के वर्ष 2007–08 की कर निर्धारण पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि उन्होंने अपने विवरणी में बिना मूल्य की प्राप्त दवाइयों के प्राप्ति एवं निपटान को नहीं दर्शाया था। इस प्रकार के संव्यवहार को न दर्शाये जाने से इसकी बिक्री, यदि कोई हो, पर वसूले गये कर को जमा न किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

चूँकि अधिनियम में इसकी बिक्री, यदि कोई हो, पर कर की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, व्यापारी इस तथ्य को अपने विवरणीयों में नहीं दर्शाते हैं और न ही विवरणी में इस प्रकार की सूचना को उपलब्ध कराने हेतु कोई स्तंभ ही है।

हमारे विचार में इस प्रकार के संव्यवहार पर कर की वसूली एवं सम्प्रेषण को सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई तंत्र होना चाहिये।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2011 में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने इस प्रकार के प्रकरणों में वसूले गये कर की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25 सितम्बर 2012 को आदेश निर्गत कर दिया।

⁵³ लकड़ी की कीमत + क0वाप0 के पत्र संख्या 1340 दिनांक 24 सितम्बर 1992 के अनुसार 30 प्रतिशत मजदूरी व्यय।

⁵⁴ ज्वापकमि0 (कार्पॉस0) मेरठ एवं डिपोक0 खण्ड-5 नोएडा।

2.19 कर सम्परीक्षा न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 44(1) प्रावधानित करती है कि व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यापारियों, जितना विहित की जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी। उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली, 2008 का नियम 43 कर सम्परीक्षा किये जाने वाले विभागीय अधिकारी की श्रेणी एवं व्यापारी का चयन किये जाने की विधि का निर्धारण करता है। अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व एवं व्यापारियों का चयन किये जाने की विधि वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय 4 एवं 5 में वर्णित है।

इस प्रकार कर सम्परीक्षा का मुख्य उद्देश्य कि व्यापारियों के उनके बही खातों एवं सम्बन्धित दस्तावेजों से जाँच कर करापवंचन को रोका जाये, को पूरा नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा हमें दिसम्बर 2010 में दिये गये इस आश्वासन के बावजूद कि इसे कार्यात्मक बनाया गया है अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरण को (जून 2012 में) प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2012 में बताया कि मार्च 2012 तक 1,790 व्यापारियों की कर सम्परीक्षा पूर्ण कर ली गयी थी एवं 1,082 व्यापारियों के मामलों में ₹ 874.15 करोड़ की अनियमितता पायी गयी थी। उत्तर सामान्य है एवं विभाग इस तथ्य पर मौन है कि कार्यालयों, जहां हमने नमूना परीक्षण किया के 94 प्रतिशत कार्यालयों में कर सम्परीक्षा नहीं की गयी थी। इसके अलावा राज्य के 6.43 लाख पंजीकृत व्यापारियों में से 1,790 व्यापारियों की कर सम्परीक्षा नगण्य है एवं यह तथ्य दर्शाता है कि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर सम्परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण किया जाये, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

⁵⁵ असि0क0 खण्ड-15 आगरा, डि0क0 खण्ड-4 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-3 एवं 4 हरदोई, असि0क0 खण्ड-9 मेरठ, डि0क0 खण्ड-4 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड-1 पड़ोरीना, तथा असि0क0 खण्ड-1 एवं 2 पड़ोरीना।

⁵⁶ असि0क0 खण्ड-6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19 एवं 20 आगरा, डि0क0 खण्ड-5 एवं 10 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड-5, 6 एवं 10 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड-11 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड-2 आजमगढ़, असि0क0 खण्ड-2 आजमगढ़, डि0क0 खण्ड-2 बाराबंकी, असि0क0 खण्ड-2 बाराबंकी, असि0क0 खण्ड-5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 बरेली, डि0क0 खण्ड-2 चन्दौली, असि0क0 खण्ड-2 चन्दौली, डि0क0 खण्ड-2 फिरोजाबाद, असि0क0 खण्ड-2 फिरोजाबाद, असि0क0 खण्ड-8, 15, 17, 18 एवं 19 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-1 गोप्ता, असि0क0 खण्ड-1 गोप्ता, डि0क0 खण्ड-5 एवं 6 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-4, 6, 7, 8 एवं 9 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-4 हापुड़, असि0क0 खण्ड-4 हापुड़, असि0क0 खण्ड-3 एवं 4 हरदोई, असि0क0 खण्ड-4 झांसी, डि0क0 खण्ड-1 कन्नौज, असि0क0 खण्ड-1 एवं 2 कन्नौज, डि0क0 खण्ड-23 कानपुर, असि0क0 खण्ड-9, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29 एवं 30 कानपुर, असि0क0 खण्ड-1 ललितपुर, डि0क0 खण्ड-3, 9 एवं 10 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-1, 12, 13, 14, 16, 18 एवं 19 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 महाराजगंज, असि0क0 खण्ड-2 महाराजगंज, डि0क0 खण्ड-3 मैनपुरी, डि0क0 खण्ड-3 एवं 6 मथुरा, असि0क0 खण्ड-3, 4 एवं 6 मथुरा, असि0क0 खण्ड-7, 8, 10, 12 एवं 13 मेरठ, डि0क0 खण्ड-2 मिर्जापुर, डि0क0 खण्ड-3, 4, 5, 9 एवं 10 मुरादाबाद, असि0क0 खण्ड-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 मुरादाबाद, असि0क0 खण्ड-4, 5, 6, 7 एवं 8 मुजफ्फरनगर, असि0क0 खण्ड-10, 12 एवं 14 नोएडा, डि0क0 खण्ड-1 एवं 3 पीलीभीत, असि0क0 खण्ड-1 एवं 3 पीलीभीत, डि0क0 खण्ड-2 प्रतागढ़, असि0क0 खण्ड-3 रामपुर, असि0क0 खण्ड-8, 9, 10, 11 एवं 12 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड-3 संतरगिदास नगर, असि0क0 खण्ड-2, 3 एवं 4 शाहजहांपुर, डि0क0 खण्ड-1 सिद्धार्थनगर, डि0क0 खण्ड-1 शिकोहाबाद, डि0क0 खण्ड-3 सोनभद्र, असि0क0 खण्ड-3 सोनभद्र, डि0क0 खण्ड-3 सुल्तानपुर तथा असि0क0 खण्ड-11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 वाराणसी।

कर सम्परीक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों एवं आदेशों के अनुपालन की जाँच करने के लिए हमने जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 के बीच 148 वाणिज्य कर कार्यालयों से सूचनाएँ संकलित कीं और पाया कि कर सम्परीक्षा शाखा द्वारा मात्र नौ कार्यालयों⁵⁵ से ही कर सम्परीक्षा हेतु पत्रावलियां चयनित की गयी थीं एवं 139 कार्यालयों⁵⁶ से कोई भी पत्रावली कर सम्परीक्षा हेतु नहीं माँगी गयी थी।

कर सम्परीक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए नमूना आकार में वृद्धि किया जाना चाहिए ताकि विभाग स्वयं ही यह सुनिश्चित कर सके कि राजस्व क्षति के और अधिक मामले खोजे जायें एवं उसमें सुधार किया जाये।

2.20 निष्प्रयोज्य व्यय

विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस यूनिट-26, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को वाणिज्य कर अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान के पुराने छात्रावास के अनुरक्षण कार्य हेतु ₹ 80.09 लाख के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की, जिसके विरुद्ध नवम्बर 2009 में ₹ 35 लाख तथा शेष ₹ 45.09 लाख फरवरी 2011 में अवमुक्त किया गया।

हमने अगस्त 2011 में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में देखा कि कार्यदायी संस्था ने प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त ₹ 35 लाख का व्यय करके पुराने छात्रावास के 24 कमरों, रसोईघर तथा भोजनकक्ष का अनुरक्षण कार्य मई 2010 में पूर्ण

किया तथा जून 2010 में विभाग को इसे हस्तगत करने हेतु अनुरोध किया। विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2011) तक 14 माह समाप्त होने के उपरान्त भी पुराने छात्रावास के 24 कमरों, रसोईघर तथा भोजनकक्ष को यह तथ्य बताते हुए हस्तान्तरण नहीं लिया था कि कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए कोई तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है।

विभाग को इन 24 कमरों की अति आवश्यकता थी क्योंकि प्रशिक्षुओं की संख्या उपलब्ध कमरों की तुलना में अधिक थी, इसके बावजूद विभाग ने इन कमरों के पूर्ण होने के 14 माह पश्चात भी इनको अपने नियन्त्रण में लेने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 35 लाख का व्यय निष्प्रयोज्य रहा।

हमारे द्वारा इसे शासन/विभाग को सितम्बर 2011 में प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि इनको सितम्बर 2012 में हस्तगत किया जा चुका है। उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनुरक्षण कार्य पर किया गया व्यय जीर्णोद्धार पूर्ण होने के 26 माह बाद तक निष्प्रयोज्य रहा।